निविदा की शर्तें (ख) :-

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित खर्च राशी रूपये 2 लाख का 2 प्रतिशंत) रूपये 4000/–व निविदा प्रप़त्र शुल्क 500/–रू0 अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैकर्स चैक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा **नो ड्यूज** प्रसतुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।

2. निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
(क) रूपये 50/– के एफिडेबिट पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नही है।
(ख) निविदादाता/फर्म /ऐजेन्सी का सबंधित विभाग से पंजीकरण दस्तावेज मय टीन नम्बर की प्रतिलिपि
(ग) निविदादाता/फर्म /ऐजेन्सी का पैन कार्ड की प्रतिलिपि
(घ) रूपये 50/– के एफिडेबिट पर यह देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ऐजेन्सी का वित्तीय वर्ष 2018–19 का किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।

3. किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।

4 धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा असफल निविदादाता की धरोहर राशी कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चैक द्धारा वापस लौटा दी जावेगी ।

5 निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगां

6 मैश एवं डायनिंग हॉल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी

7 अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर में प्रवेश वर्जित रहेगा। ।

8 खाना, नाश्ता, चाय व अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

9 मैश की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर (किसान घर में उपलब्धता के आधार पर) के अलावा कोई सामान देय नहीं होगा।

10 बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

11 कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी, समय–समय पर निविदा संबंधी श्शर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवता की जांच कर सकेगें।

12 मैश में स्वस्थ रसाईये ही स्वीकार्य होंगे। मैश में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

13 मैश कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

14 निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा किसान घर एवं केन्द्र की सम्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदिदाता को करनी होगी।

15 किसान घर द्वारा प्रदत सामान की टूट–फूट की मरम्मत निविदादाता को करवानी होगी।

16 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।

17 समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूचि में डाल दिया जायेगा।

18 निविदादाता द्वारा काम में ली गई समस्त सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

19 विवाद होने पर न्याय क्षेत्र लूनकरनसर न्यायालय होगा।

20 निविदादाता को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो प्रभारी अधिकारी या किसान घर के अन्य कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

21 समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उतम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा।

22 ठेका 31 मार्च 2020 तक के लिए मान्य होगा।

23 कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

24 निविदादाता एवं उनके कर्मचारियों को किसान घर के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

25 प्रभारी अधिकारी, किसान घर द्वारा मैश /रसोई के बारे में जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।

26 अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र से **"नो ड्यूज"** लेना होगा।

27 चाय जितने समय बताया जायेगा उतने समय प्रशिक्षणार्थियों को देनी होगी।

28 प्रशिक्षण में शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।

29 रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सख्या की जानकारी निवदिदाता को प्रशिक्षण दिवस को दोपहर 3.00 बजे दे दी जावेगी।

30 निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर देवें। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।

31 दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग–अलग होगी।

32 खाना व चाय आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।

33 खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा देय लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

34 प्रशिक्षण 1, 2, 3 एवं 5–6 दिवसीय आयोजित किये जा सकते हैं।

35 प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेगें।

36 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित /निरस्त करने का अधिकार कार्यकम समन्वयक ,केविके लूनकरनसर के पास सुरक्षित रहेगा ।

कार्यकम समन्वयक

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/ हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर